



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (UKPSC) हेतु संस्कृत विषय के विशेषज्ञों के पैनल में पंजीकरण के संबंध में।

message

Wed, Mar 18, 2026 at 5:39

S VC <ps2vc@sanskrit.ac.in>  
cc: director-prayagraj@sanskrit.ac.in, director-jammu@sanskrit.ac.in, director-puri@sanskrit.ac.in, director-thrissur@sanskrit.ac.in, director-jaipur@sanskrit.ac.in, director-lucknow@sanskrit.ac.in, director-sringeri@sanskrit.ac.in, director-balahar@sanskrit.ac.in, director-bhopal@sanskrit.ac.in, director-nashik@sanskrit.ac.in, director-agartala@sanskrit.ac.in, director-devprayag@sanskrit.ac.in, dcp@dcpcune.ac.in, prasad.joshi@dcpcune.ac.in, registrar@sanskrit.ac.in

माननीय महोदय/महोदया,  
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से शुभकामनाएं। Respected Sir/Madam,  
Greetings from CSU.

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा संस्कृत विषय के विभिन्न पदों (प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/असिस्टेंट प्रोफेसर) की चयन प्रक्रिया एवं अन्य गोपनीय कार्यों हेतु विषय-विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार किया जा रहा है।

इस हेतु विश्वविद्यालय के सभी नियमित प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनके पास न्यूनतम 05 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव है, वे आयोग के आधिकारिक पोर्टल [ems.uk.gov.in](http://ems.uk.gov.in) पर स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं अथवा निर्धारित बायोडाटा प्रारूप को भरकर ईमेल आईडी [coeukpsc@gmail.com](mailto:coeukpsc@gmail.com) या [cellatigopan@gmail.com](mailto:cellatigopan@gmail.com) पर प्रेषित कर सकते हैं।

मानदेय (honorarium) तथा उन द्वारा प्रदान की गई अन्य जानकारी के विवरण के लिए कृपया आयोग द्वारा प्रेषित पत्र का संदर्भ लें।

अतः समस्त निदेशकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने परिसर के पात्र एवं इच्छुक संकाय सदस्यों को इस विषय में तत्काल सूचित करें ताकि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना पंजीकरण पूर्ण कर सकें और आयोग की चयन प्रक्रियाओं में विश्वविद्यालय का सक्रिय योगदान सुनिश्चित हो सके।

संलग्न: आयोग द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति।

सादर,

With regards,

कुलपति कार्यालय  
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय  
56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी,  
नई दिल्ली - 110058  
Phone : 011-28523949  
Website : <http://www.sanskrit.nic.in>  
E-mail : [ps2vc@sanskrit.ac.in](mailto:ps2vc@sanskrit.ac.in),  
For appointment - [appointment.vc@sanskrit.ac.in](mailto:appointment.vc@sanskrit.ac.in)

Vice Chancellor Office  
Central Sanskrit University  
56-57, Institutional Area, Janakpuri,  
New Delhi-110058



Please consider the environment before printing this email.

Scan Utrakand nominations.pdf  
413K



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,  
हरिद्वार-249404

पत्रांक सं०-454(40)/40/EPL/AGC/2025-26

दिनांक : 02 फरवरी, 2026

प्रेषक,

परीक्षा नियंत्रक,  
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।

सेवा में,

Registrar  
Central Sanskrit University, Janakpuri, New Delhi  
110058

13/2  
Dr. Divyanshu

विषय- संस्कृत (Sanskrit) विषय के विभिन्न विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में कार्यरत नियमित प्रोफेसर/एसो प्रोफेसर/असि प्रोफेसर के बायोडाटा आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार राज्य की एक संवैधानिक संस्था है जिसका कार्य समय-समय पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कर राज्य को उत्कृष्ट मानव संसाधन उपलब्ध कराना है। उक्त कार्य हेतु आयोग में समय-समय पर अनेक गोपनीय कार्य सम्पन्न कराये जाते हैं जिस हेतु विभिन्न विषयों के अनुभवी विषय-विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है।

2. आयोग के विभिन्न गोपनीय कार्य किये जाने से पूर्व विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/कॉलेज/संस्थान में कार्यरत नियमित प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/असिस्टेंट प्रोफेसर (न्यूनतम 05 वर्ष से अधिक शिक्षण अनुभव) को आयोग के विशेषज्ञों के पैनल में पंजीकृत होना अनिवार्य है। पैनल में पंजीकरण दो माध्यमों से किया जाता है, जिसमें ऑनलाईन पंजीकरण हेतु विशेषज्ञ स्वयं को आयोग के पोर्टल-[Online Expert Management System \(ems.uk.gov.in\)](http://Online Expert Management System (ems.uk.gov.in)) में पंजीकृत करवा सकते हैं, अथवा ऑफलाईन माध्यम से आयोग के अनुमोदित बायोडाटा (प्रारूप संलग्न) को उचित रूप से भरकर आयोग की ईमेल-आईडी (cocukpsc@gmail.com/ cellatigopan@gmail.com) पर भी प्रेषित कर सकते हैं।

3. आयोग द्वारा गोपनीय कार्य कराये जाने हेतु आमंत्रित विशेषज्ञों को प्रतिदिन ₹4,000/- (रुपये चार हजार) की दर से मानदेय का भुगतान किया जाता है। आयोग द्वारा विशेषज्ञों के आने-जाने हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी (वातानुकूलित) की रेल यात्रा का टिकट का अथवा प्राइवेट टैक्सी वाहन अथवा स्वयं के वाहन (₹0 16/- प्रति किमी० की दर) से यात्रा किये जाने पर भुगतान किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त वायुयान (Economic Class) से की गयी यात्रा भी अनुमन्य होती है। विशेषज्ञों के ठहरने की व्यवस्था (अतिथि गृह/होटल में) लोक सेवा आयोग द्वारा स्वयं की जाती है।

अतः अनुरोध है कि संस्कृत (Sanskrit) विषय के इच्छुक विषय-विशेषज्ञों को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में विशेषज्ञ के रूप में पंजीकृत (ऑनलाईन/ऑफलाईन) किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।



भवदीय,

(जयवर्धन शर्मा)  
परीक्षा नियंत्रक।